न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/612

1. आम जनता ग्राम गुर्जरो की तलाई मदरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये सदनागारिक– राधेश्याम पुत्र मोहन लाल गुर्जर निवासी गुर्जरो की तलाई मदरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी ए–121, जेडीए कॉलोनी, ग्राम बक्सावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामदास चेला गोपालदास रामस्नेही (स्व–घोषित) दादूपंथी निवासी बडा रामद्वारा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23/7/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर पीठासीन अधिकारी कनिष्क सैनी आर. ए. एस. मिसल संख्या 16/2014 उनवानी रामदास बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री मोहित तिवाडी वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–06.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के निर्णय दिनांक 23.07.2014 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम सांगानेर तहसील व जिला–जयपुर में स्थित रामबक्श चेला रामनारायण की खातेदारी में खाता संख्या 490 के साबिक ख.नं. 73 रकबा 19 बिस्वा, ख. नं. 74 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह ख.नं. 75 रकबा 14 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, ख.नं. 2354 रकबा 1 बिस्वा रामद्वारा वाली कोठी, ख.नं. 2355 रकबा 10 बिस्वा एवं वाके ग्राम सॉगानेर के साबिक ख.नं. 76 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ख.नं. 121 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 2349/4016 रकबा 2 बिस्वा ख.नं. 2350/4018 रकबा 5 बिस्वा, ख.नं 2353 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा को संयुक्त कर इक्जाई खाता 444 सम्वत 2025 से 2028 किये जाने पर दुरूस्ती हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गोपालदास के नाम दर्ज विरासत

नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 30.06.1986 की नवीन खाते में अमल दरामद कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिनांक 23.07.2014 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 23.07.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुरदिनांक 23.07.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि (अपीलान्ट) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की लोकस स्टेण्डाई क्या है वह मृतक खातेदार का पक्ष रखने वाला कौन है तथा मृतक खातेदार की कृषि भूमि का बैचान करने व उस पर अतिक्रमण कराने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किस प्रकार से है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित आदेश में कोई उल्लेख नही किया हैं तथा आम जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत कर गुरुजनो की उपार्जित सम्पत्ति को खुर्द बुर्द कर दिया जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं । यह कि मातहत न्यायालय द्वारा धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत रिकार्डेड खातेदार की भूमि का अलग विभाजन करने का आदेश किया जो अधिकार क्षेत्र से कतई बाहर होने से एबइनिशयो (शुरू से ही शून्य) आदेश होने से निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामस्नेही समुदाय का सदस्य नही है वह दादूपंथी है जिसे षडयंत्र रचकर कुछ लोगो से जो भू–माफिया है मिलकर अधिनस्थ न्यायालय में धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त समस्त वादग्रस्त भूमि रामबक्श रामस्नेही की ही सम्पत्ति थी रामस्नेही सम्प्रदाय में व्यक्तिगत सम्पत्ति नही होती हैं। चूँकि उक्त रामस्नेही रामद्वारा सांगानेर का ट्रस्ट पंजीयन देवस्थान विभाग में किया गया। जिसमें उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को रामद्वारा ट्रस्ट की मानी गई हैं। यह कि धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत केवल जमाबन्दी में हुई किसी त्रुटि को ही दुरुस्त की जा सकती हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न तो देवस्थान को पक्षकार बनाया न ट्रस्ट को पक्षकार बनाया तथा न ही अध्यक्ष रामस्नेही सम्प्रदाय भीलवाडा को पक्षकार बनाया जो आवश्यक पक्षकार थे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके साथ साजिशकर्ताओं ने उक्त बहुमूल्य भूमि को बैचान व खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से सरकार को ही पक्षकार बनाया जिसने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया । यह कि महन्त गोपाल दास चेला रामबक्श रामस्नेही एवं पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के मध्य दिनांक 18/6/1991 को विक्रय अनुबंध पत्र शून्य एवं वोईड एब इनिशियो दस्तावेज है जो न तो स्टाम्प पर है न रजिस्टर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि का रजिस्ट्रेशन भी शून्य एवं अवैध है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश स्वतः ही निरस्तनीय हैं। यह कि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पोषणीय नही है वाद पत्र ही एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्षकारों का संयोजन आवश्यक है। उक्त भूमि में नुमाईशी पट्टे समिति द्वारा जारी किये गये जबकिं वादग्रस्त भूमि ट्रस्ट की भूमि है जिसका सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 14/1/1972 को जारी किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ट्रस्ट द्वारा बाडारामद्वारा रामस्नेही प्रन्यास सांगानेर द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

महन्त पद से हटा दिया गया। जिसकी रिट पटिशन संख्या 2020/20110 राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है दौराने दावा वादग्रस्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण अवैध है तथा राजस्व रिकार्ड में भी हेर फेर परिवर्तन फरमा अनुचित है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मुख्य तथ्यों को छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय से अवैध आदेश पारित करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर निर्णय दिनांक 23.07.2014 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस/जवाब अपील के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किरेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के गुरू ब्रह्मलीन महंत गोपालदास जी ने ही अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 229 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से मात्र 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 230 रकबा 0.27 हैक्टेयर व खसरा नंबर 232 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 233 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 235 रकबा 0.30 हैक्टेयर, कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर स्थित ग्राम सांगानेर जिला जयपुर के द्वारा श्री पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर, रजि. नंबर 2965 /एल को विक्रय कर वास्तविक कब्जा समिति को सुपुर्द कर दिया था और उसके बाद समिति ने उक्त कृषि भूमि पर रामद्वारा कॉलोनी – द्वितीय के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित कर आवंटन पत्र सदस्यों को जारी कर दिया, जिन पर वर्तमान में आवंटनधारी बहैसियत मालिक स्वामी काबिज हैं और साथ ही साथ यह वर्णित करना भी आवश्यक है कि उक्त कॉलोनी को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27–12–2021 को खसरा महन्त रामदास नंबर 229 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 230 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 232 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 233 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर को रिहायशी भूमि में परिवर्तित कर 20–06–2022 को प्लाटधारियों को पट्टे जारी कर दिये है तथा आवंटनधारी अपने रिहायश हेतु मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं। उक्त भूमि को रेस्पोन्डेन्ट संख्या – 1 द्वारा विक्रय नही किया गया है, बल्कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या – 1 के गुरु ब्रह्मलीन महंत गोपालदास जी ने ही विक्रय कर दिया था, इसलिये रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 महंत रामदास का इससे कोई वास्ता नहीं हैं। महंत गोपालदास जी को उक्त सम्पत्ति अपने गुरू महंत रामबक्स जी से प्राप्त हुई थी और उनके उत्तराधिकारी होने के कारण ही राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि महंत गोपालदास के नाम दर्ज इन्द्राज हुई। उक्त भूमि सर्वप्रथम रामबक्स जी को अलाट हुई थी और तभी से बहैसियत मालिक स्वामी उक्त भूमि पर काबिज थे और उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी महंत गोपालदास जी काबिज हुये और उनके द्वारा ही उक्त भूमि का विक्रय किया गया था। उक्त विवादित कृषि भूमि महंत गोपालदास की निजी कृषि भूमि हैं और इसी संबंध में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्ती का आदेश पारित किया है, इसलिये देवस्थान विभाग या रामस्नेही संप्रदाय भीलवाडा को पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नही थी, क्योकि उक्त कृषि भूमि निजी भूमि है, जिससे किसी भी ट्रस्ट का कोई लेना देना नही हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर गौर कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर पारित किया था, इसलिये माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सही व विधि सम्मत हैं, इसलिये अपीलार्थी की अपील सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 30.09.2022 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम सांगानेर तहसील व जिला जयपुर में स्थित उक्त विवादग्रस्त भूमि के खाता संख्या 490 में वसीगे वक्फ रामद्वारा की खातेदारी में दर्ज भूमि कुल खसरा 5 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा में जरिये नामा0 संख्या 227 दिनांक 30.06.1967 से श्री रामबक्श चेला रामनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज हुई भूमि खसरा नं. 76, 121, 2349/4016, 2350, 2353 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 2 बीस्वा को मिलाकर संयुक्त इक्जाई खाता 444 का पृथक–पृथक खातेदारी का खाता कायम किये जाने की दुरूस्ती के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है विवादग्रस्त आराजी के खातेदार रामबक्श रामस्नेही सम्प्रदाय से है एवं रामस्नेही सम्प्रदाय में निजी सम्पत्ति नही होती हैं तथा राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के तहत् केवल राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक–पृथक खातेदारी का खाता कायम किये के संबंध में जो अनुतोष चाहा है वह धारा–136 में दिया जाना प्रावधित नहीं है। इसके लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर दिनांक 23.07.2014 उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर का निर्णय दिनांक 23.07.2014 निरस्त किया जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर